


# संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयला वाशरी  
गारे पाल्मा कैपटिव कोल ब्लॉक IV/8  
ग्राम- खमरिया, तहसील- घरघोडा  
जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़



जयसवाल निको इन्ड्रीज लिमिटेड  
रायपुर  
दिसम्बर -2010

## अन्तर्वस्तु

विषय सूची	पेज न.
1. पृष्ठभूमि	3
2. प्रक्रम विवरण	4
3. पर्यावरणीय विवरण	5
4. पर्यावरण प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय	7
5. पर्यावरण प्रबोधन योजना	9
6. परियोजना के लाभ	10
7. पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना	11

## 1 पृष्ठभूमि:

जयसवाल निको इन्स्ट्रीज लिमिटेड (JNIL) ने 1.8 मिलियन टन / वर्ष क्षमता की कोल वाशरी को गारे पाल्मा IV/8 कोयला खदान लीज क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया है। गारे पाल्मा कोयला खदान IV/8 को दिसम्बर 2008 में पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गयी है। यह खदान खमरिया गाँव के नजदीक तहसील-घरघोडा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस वाशरी के लिए कोयला (ROM Coal) की आपूर्ति गारे पाल्मा ब्लॉक IV/4 तथा IV/8 से की जायेगी। इस वाशरी से 1650 टन/दिन धुला कोयला JNIL के सिलतरा रायपुर में स्थित स्टील प्लांट में उपयोग किया जायेगा तथा 3850 टन/दिन मिडलिंग का उपयोग JNIL के प्रस्तावित हमीरपुर जोबरो विद्युत इकाई में उपयोग किया जायेगा।

प्रस्तावित वाशरी में F ग्रेड के कोयले (ROM Coal) का शुद्धीकरण किया जायेगा। वाशरी से धुला कोयला तथा मिडलिंग को सड़क मार्ग द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जायेगा। कोयला तथा मिडलिंग का परिवहन 35 टन क्षमता के ट्रक द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना की कुल लागत 45 करोड़ रु. है।

प्रस्तावित वाशरी गारे पाल्मा IV/8 कोयला खदान लीज क्षेत्र में 10.336 हैक्टर वनरहित भूमि में स्थापित की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना स्थल की स्थिति अक्षांश एवं देशान्तर में क्रमशः  $22^{\circ} 08' 52''$  से  $22^{\circ} 10' 58''$  उत्तर एवं  $83^{\circ} 29' 55''$  से  $83^{\circ} 31' 48''$  पूर्व में है। इस भूमि में किसी भी प्रकार का पुर्ननिवास एवं पुर्नविस्थापन नहीं किया जायेगा। हरित पट्टी का विकास 33% भूमि में किया जायेगा।

कोयला धुलाई, धूल निर्मूलीकरण, पीने एवं बागवानी के लिए लगभग 240 किलो. ली. प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी। पानी की आपूर्ति खनित गड्ढों में एकत्रित जल से की जायेगी।

इकाई मे 2.5 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ विद्युत विभाग द्वारा की जायेगी। विद्युत आपूर्ति ठप होने की स्थिति मे 1500 के. वी. ए . के डीजल जनरेटर का उपयोग किया जायेगा ।

परियोजना स्थल के नजदीकी गाँव खमरिया कोयला खदान लीज क्षेत्र मे, कोन्डकेल गाँव 1 किमी. दक्षिणपूर्व की दिशा मे तथा कुरवाही 0.5 किमी. पश्चिम मे स्थित है। प्रस्तावित वाशरी स्थल के 10 किमी. क्षेत्र मे सिलोट. टोलगे एवं गारे वन स्थित है। प्रस्तावित वाशरी के 10 किमी. परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, एवं पुरातत्त्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर नहीं है।

परियोजना स्थल से सम्बन्धित जानकारी एवं पर्यावरणीय विषयों के आंकलन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ आकंलन समिति के समक्ष दिनांक 23 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29 अप्रैल 2010 को पर्यावरण प्रभाव आकंलन रिपोर्ट बनाने के लिए कृत्य (Terms of Reference) जारी किया। पर्यावरण प्रभाव आकंलन रिपोर्ट दिये गये कृत्य (Terms of Reference) के अनुसार जन सुनवाई हेतु बनाई गयी है। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त किये गये सुझावों एवं अपत्तियों को अन्तरिम प्रभाव आकंलन रिपोर्ट में सम्मलित किया जायेगा। अन्तरिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट आकंलन एवं पर्यावरण अनापत्ति के लिए विशेषज्ञ आकंलन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

## 2 प्रक्रम विवरण

कोल वाशरी में कोयला हथालन, चुरा करना, छानना, कोयला धुलाई एवं धुले हुए पानी मे से धुल (फाइन्स) को अलग करना सम्मलित है । कोल वाशरी 30 प्रतिशत स्वच्छ कोयला उत्पादित करेगी। राख की मात्रा 29-30 प्रतिशत होगी एवं 70 प्रतिशत मिडलिंग होगी । प्रतिदिन 5500 टन कोयल (ROM Coal) की धुलाई की जायेगी । जिसमे 1650 टन/दिन धुला कोयला एवं 3850 टन/दिन

मिडलिंग उत्पन्न होगी । धुला कोयला का उपयोग स्टील निर्माण तथा मिडलिंग का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जायेगा ।

कोयला (ROM Coal) गारे पाल्मा IV/4 से वाशरी स्थल तक ट्रक द्वारा लाया जायेगा । इस कोयले को गारे पाल्मा IV/4 के (ROM Coal) के साथ मिक्स किया जायेगा । इस कोयले के मिश्रण को क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग के पश्चात बन्द कन्वेयर में धुलाई के लिये वाशरी में भेजा जायेगा । कोयले को Heavy Media cyclone technique द्वारा धोया जायेगा । शुद्ध कोयला एवं मिडलिंग की परतो को अलग करके उनका भण्डारण किया जायेगा । कोयला धुलाई के पश्चात इस पानी को थिकनर में डाल कर कोयले के कणों को अलग कर लिया जायेगा । कोयले के कणों को अलग करने के पश्चात इस पानी का शत प्रतिशत उपयोग धुलाई में किया जायेगा ।

### 3 पर्यावरणीय विवरण

पर्यावरणीय आधारभूत आँकड़े 8 अप्रैल 2010 से 8 जुलाई 2010 के दौरान एकत्रित किये गये । आधारभूत आँकड़ों के लिए परियोजना स्थल के 10 किमी<sup>०</sup> की परिधि के क्षेत्र को लिया गया । आधारभूत आँकड़े पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत एकत्रित किये गये हैं । मौसम से सम्बन्धित आकड़ें जैसे, हवा की दिशा, गति, आर्द्रता एवं तापमान इत्यादि परियोजना स्थल (Gare IV/4) से लिए गये । परिवेशी वायु गुणवत्ता का प्रबोधन अध्ययन क्षेत्र के आसपास 4 स्थलों पर किया गया । ध्वनि गुणवत्ता का मापन 8 स्थलों पर किया गया । सतही जल के 4 तथा भूमिगत जल के 6 नमूने परिक्षण के लिए गये । मृदा के नमूने 4 विभिन्न स्थानों से परीक्षण के लिए गये । वनस्पति एवं प्राणियों से सम्बन्धित आँकड़े जिला वन विभाग कार्यालय से एकत्रित किये गये । भू-उपयोग, जनसंख्या, व्यवसाय एवं खेतीबाड़ी से सम्बन्धित आँकड़े जिला सांख्याककी पुस्तिका एवं तहसील कार्यालय से लिए गये ।

परियोजना स्थल की प्रभावी वायु दिशा उत्तर पश्चिम दिशा में पायी गयी। 23 प्रतिशत वायु गति शान्त पायी गयी। अध्ययन क्षेत्र के सभी जाँच स्थलों में SPM, RSPM, सल्फर डाईआक्साइड एवं नाइट्रोजन डाईऑक्साइड का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता (जो कि क्रमशः 200, 100, 80, 80 माइक्रोग्राम/मी<sup>3</sup>) के अर्न्तगत पायी गयी। अध्ययन क्षेत्र में SPM का औसत स्तर 116-158 माइक्रोग्राम/मी<sup>3</sup> एवं RSPM का स्तर 39-54 माइक्रोग्राम/मी<sup>3</sup> के अर्न्तगत पाया गया। सल्फर डाईआक्साइड का स्तर 5.0-7.6 माइक्रोग्राम/मी<sup>3</sup> एवं नाइट्रोजन डाईआक्साइड का स्तर 6.0-12.4 माइक्रोग्राम/मी<sup>3</sup> के अर्न्तगत पाया गया।

अध्ययन क्षेत्र में ध्वनि का स्तर, राष्ट्रीय ध्वनि गुणवत्ता स्तर (जो कि रात में 45 डेसिबल एवं दिन में 55 डेसिबल) के अर्न्तगत पायी गयी। अध्ययन क्षेत्र में औसत ध्वनि स्तर 45.9 डेसिबल से 51.1 डेसिबल (दिन में) एवं 40.2 से 42.7 डेसिबल (रात में) के बीच पाया गया।

वर्तमान में घग्घोडा ब्लाक में उपलब्ध भूमिगत जल का केवल 25 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय भूमिगत जल विभाग द्वारा इस क्षेत्र को सुरक्षित जल श्रेणी में रखा है। नदी एवं अन्य सतही जल स्रोतों का पानी उपचारित करने के पश्चात् पीने योग्य है। नदी एवं भू जल में किसी भी प्रकार का धत्विक एवं जीवाणु जनित प्रदूषण नहीं पाया गया।

अध्ययन क्षेत्र की मृदा बलुई चिकनी है। मृदा की Bulk density 1.28 से 1.34 ग्राम/सेमी<sup>3</sup>, क्लोराइड 0.0035-0.0071%, जैविक कार्बन 0.61% से 0.65% तथा नाइट्रोजन 1.20% से 1.29% के मध्य पाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र (10KM) में 39% वनभूमि, 46% कृषि भूमि, 6% बंजर भूमि एवं शेष भूमि कृषि के अयोग्य है। अध्ययन क्षेत्र में वन Tropical Wet Deciduous प्रकार के हैं। जिसमें मुख्य प्रजाति साल, अर्जुन, तेदुआ, महुआ, बीजा, धौरा एवं बांस इत्यादि हैं। लंगूर, बन्दर, भालु, खरगोश, जंगली बिल्ली एवं हिरन अक्सर दिखाई देते हैं। अध्ययन क्षेत्र में जन्तु एवं वनस्पति की कोई जाति विलुप्ति के

कगार पर नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में हाथियों का यदा कदा आवागमन देखा गया है।

अध्ययन क्षेत्र की (10किमी.) कुल जनसंख्या 40027 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का संख्या क्रमशः 3670 एवं 21903 है। साक्षरता दर 69% है। अध्ययन क्षेत्र में 60% से अधिक मुख्य कामगार कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य से जुड़े हुए हैं। अध्ययन क्षेत्र के सभी ग्रामों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। कुछ बड़े गाँवों में प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं।

गाँव वाले पीने के पानी के लिए कुँए एवं नल के जल का उपयोग करते हैं। पानी के स्रोत के लिए नलकूप भी प्रयोग में लाये जाते हैं। कुछ गाँवों में पोस्ट आफिस उपलब्ध है। लगभग सभी गाँव सड़क मार्ग द्वारा जुड़े हैं एवं यातायात की सुविधा ठीक ठाक है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों रोजगार का मुख्य जरिया है। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसल धान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पालतू जानवरों का अहम योगदान है। कुछ ग्रामीण दूध एवं दूध से निर्मित साम्रागी को बेच कर जीविकापार्जन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है। ईट भट्टे एवं लघु उद्योग कुछ लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं।

#### 4 पर्यावरणीय प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय

कोयला हथालन एवं कोयला शुद्धीकरण प्रक्रिया के दौरान कोयला युक्त धूल उत्पन्न होगी। कोयला हथालन के दौरान उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए नियमित जल छिड़काव किया जायेगा। कोयले का चूरा करने एवं स्क्रीनिंग के दौरान उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए ड्राई फाग धूल निर्मूलीकरण यंत्र लगाया जायेगा। कशर पूर्ण रूप से बन्द होगी एवं कशर में ड्राई फाग धूल निर्मूलीकरण यंत्र लगाया जायेगा। धूल को कम करने के लिए चारों तरफ से बन्द कान्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जायेगा।

इकाई परिसर से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उपचारित करके बागवानी, धूल निर्मूलीकरण, कोयला धुलाई इत्यादि में शत प्रतिशत उपयोग किया जायेगा। अतः परिवेशी जल तंत्र पर इस परियोजना का नगण्य प्रभाव होगा। इकाई परिसर में वर्षा जल संग्रहण किया जायेगा। इकाई परिसर से 0.5 किलो. ली. प्रतिदिन घरेलू अपशिष्ट जल निकलेगा जिसका सेप्टिक टैंक में निपटान किया जायेगा।

इकाई परिसर में ध्वनि रोधक विधियाँ अपनायी जायेगी। इकाई परिसर की सीमा में ध्वनि का स्तर राष्ट्रीय मानक स्तर (70 डेसिबल रात में 75 डेसिबल दिन में) के मानक स्तर में होगी।

कोयला धुलाई प्रक्रिया के दौरान होने वाले मिडलिंग का उपयोग JNL के प्रस्तावित पावर प्लान्ट में विद्युत उत्पन्न करने में किया जायेगा।

कोयला को इकाई परिसर के अन्दर सुरक्षित स्थान पर रखा जायेगा। कामगार के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आपातकालीन योजना बनायी जायेगी, जिससे किसी भी दुर्घटना से तुरन्त बचाव किया जा सके।

परियोजना स्थल में भ्रान एवं समतलीकरण की आवश्यकता नहीं है। खुदाई के दौरान निकली अतिरिक्त मृदा को बागवानी में उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व विद्यमान जल निकासी व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए उचित नालियों का निर्माण किया जायेगा। विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए निम्न उपाय प्रयोग में लाये जायेगे।

- ❖ कोयला हथालन क्षेत्र की नियमित सफाई एवं जल छिडकाव करके धूल निर्मूलीकरण ।
- ❖ कशर एवं स्क्रीन का को पूर्णतः शेड के अन्दर रखा जाना।
- ❖ कशर एवं स्क्रीन में ड्राई फाग धूल निर्मूलीकरण यंत्र का उपयोग करना।
- ❖ बन्द कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करना।

- ❖ क्लोज सर्किट जल वाशिंग यंत्र ( Close Circuit Washing System) का उपयोग करना।
- ❖ परियोजना से उत्सर्जित अपशिष्ट जल का शत प्रतिशत उपयोग करना। इकाई परिसर के बाहर अपशिष्ट जल का निस्त्राव नहीं करना।
- ❖ वर्षा जल संग्रहण के लिए अलग से नालियों का निर्माण एवं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत वर्षा जल संग्रहण करना।
- ❖ घरेलू अपशिष्ट के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक का उपयोग करना।
- ❖ इकाई परिसर में पक्की सड़को का निर्माण करना।
- ❖ ध्वनि रोधक कार्यस्थलों एवं ध्वनिमुक्त केबिनो का निर्माण करना।
- ❖ उच्च ध्वनि वाले स्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को एयर प्लग देना।
- ❖ इकाई परिसर में 33% क्षेत्र में हरियाली के रूप में विकसित करना। स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ लगाना।

पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के उपायों को अपनाकर इस वाशिरी से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकेगा। परियोजना से सकारात्मक प्रभाव जैसे अध्ययन क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। JNIL सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी, जिससे आस-पास के गांवों में रहने वाले, नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार होगा। CSR क्रियाकलापों के लिए प्रतिवर्ष 21 लाख खर्च किये जायेंगे। सामाजिक दायित्व नीति के अन्तर्गत आस-पास के क्षेत्र के निवासियों से नियमित सम्पर्क बनाया जायेगा। आस-पास के गाँवों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सामाजिक उत्थान के क्रियाकलापों को सम्पन्न कराने में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों एवं स्थानीय प्रशासन की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

## 5 पर्यावरण प्रबोधन योजना:

नियमित पर्यावरण गुणवत्ता की जाँच के लिए वाशिरी में पर्यावरण प्रबन्धन विभाग स्थापित किया जायेगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की

कार्य क्षमता को निर्धारित पर्यावरणीय मानको के अनुरूप रखने के लिए नियमित पर्यावरणीय प्रबोधन करेगी। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग, कम्पनी के मुख्य कार्यकारी के अधीनस्थ होगी। प्रशिक्षित इंजीनियर पर्यावरण प्रबन्धन विभाग का संचालन करेगें । पर्यावरण प्रबन्धन विभाग निम्न कार्यों की देख-रेख करेगी।

1. इकाई परिसर में होने वाले धूल उत्सर्जन, एवं कार्यस्थलों में होने वाले धूल उत्सर्जन की नियमित प्रबोधन करना एवं किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति की अवस्था में प्रभावी उपाय करना।
2. इकाई परिसर के अन्दर कशर के प्रभावी एवं अप्रभावी दिशा में 3 स्थानों पर वायु गुणवत्ता का प्रबोधन करना । (एक दूसरे से 120° के अन्तर पर)
3. पुर्न चक्रित जल की गुणवत्ता की नियमित जाँच एवं प्रबोधन करना।
4. कोयला रिजेक्ट एवं कोल फाइन्स संग्रहण क्षेत्र के समीप भूमिगत जल की नियमित जाँच एवं प्रबोधन करना ।
5. केलो नदी के जल की Upstream एवं Downstream में जाँच करना ।
6. नजदीकी गाँव, इकाई परिसर की सीमा एवं कार्यस्थलों में ध्वनि स्तर की नियमित जाँच एवं प्रबोधन करना ।
7. ठोस अपशिष्टों की मात्रा एवं गुणवत्ता की जाँच एवं पुर्नउपयोग करना।
8. इकाई परिसर में हरित पट्टी का विकास एवं देखरेख करना ।

## 6 परियोजना से लाभ

प्रस्तावित कोल वाशरी स्थापित होने से इस क्षेत्र के बुनियादी तौर पर विकास होगा। इकाई के आस-पास रहने वाले लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह इकाई F ग्रेड के कोयले (ROM Coal) का शुद्धीकरण करेगी ।

F ग्रेड के कोयले (ROM Coal) का शुद्धीकरण करने से इसमें उपस्थित राख की मात्रा को कम किया जाता है। कोल वाशरी में न्यूनतम लागत से कोयले (ROM Coal) को शुद्ध करके अच्छी श्रेणी का कोयला तैयार किया जाता है जो कि सिमेन्ट

निर्माण, विद्युत उत्पादन एवं स्टील निर्माण में उपयोगी है। कोयला का शुद्धीकरण निम्न कारणों से आवश्यक है।

1. अच्छी गुणवत्ता की खदानों में निरन्तर कमी होना।
2. यांत्रिक माइनिंग द्वारा प्राप्त कोयले में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होना।
3. कोयले के साथ-साथ अशुद्धियों (फाइन्स) की ढुलाई होना, जिससे परिवहन खर्च में बढ़ोतरी होना।
4. पर्यावरणीय सन्दर्भ में कोल वाशरी प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम में सहायक है। प्रस्तावित वाशरी निर्माण के 12 महीनों के दौरान 250 स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। कोल वाशरी संचालन के दौरान लगभग 80 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इकाई संचालन के दौरान JNIL स्थानीय नागरिकों को योग्यतानुसार (कुशल एवं अर्धकुशल) रोजगार उपलब्ध करायेगी। कम्पनी कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को आस पास के गाँवों के लोगों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त आस-पास के निवासियों के लिए अप्रत्यक्ष स्वरोजगार के कई अन्य अवसर जैसे व्यापार, ड्राईवर, दुकान, चिकित्सा, स्कूल, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रेस्टोरेन्ट, में उपलब्ध होंगे।

## 7 पर्यावरण प्रबन्ध योजना

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी एवं कारगर पर्यावरण प्रबन्धन योजना बनाई गयी है। सुझाये गये सुरक्षा उपायों एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना को क्रियान्वित करने के लिए 150 लाख रुपये की आवश्यकता है। मुख्य लागत का 10 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष प्रदूषण रोकथाम के उपायों पर खर्च किये जायेगा। निर्माण काल के दौरान प्रदूषण नियंत्रण की देखरेख कम्पनी स्वयं करेगी। पर्यावरण प्रबन्ध विभाग सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, पानी चक्रण एवं इसका पुर्न उपयोग निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप रखने के लिए नियमित पर्यावरणीय प्रबोधन करेगी। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग, स्पैट आयल एवं

लुब्रिकेंट के निपटान पर नजर रखेगी। इकाई परिसर के अन्दर-बाहर हरियाली के विकास का जिम्मेदारी पर्यावरण प्रबन्धन विभाग की होगी। हरित पट्टी का विकास सी. पी. सी. बी. के दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग संसाधन संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण को क्रियांवित करेगी। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग, कर्मचारियों के लिए पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

कम्पनी कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच की जायेगी। पर्यावरण प्रबन्धन इकाई कर्मचारियों के लिए स्वच्छ कार्य क्षेत्र एवं सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग कम्पनी के सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर इकाई कमीशनिंग के दौरान होने वाले जोखिम के प्रति सजग रहेगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग प्रदूषण कम करने, दुर्घनाओं को कम करने एवं अपशिष्टों के निष्पादन को कम करने के उपाय सुझायेगी। परियोजना में लागू पर्यावरण प्रबन्धन योजना इस इकाई से सम्बन्धित पर्यावरणीय कानूनों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ताकि होने वाले सभी पर्यावरणीय प्रभावों की कम किया जायेगा।





Map Showing Site & Surroundings of the Project site

Prepared By  
**EMTRC Consultant Private Limited**  
 (Accredited EIA Firm by NABET-QCI)  
 B-16, Plot 10-A, East Arjun Nagar, Delhi-32  
 Telefax: 91-11-22387792, 91-11-22301172  
 email-emtrcjkm@rediffmail.com, wesite www.emtrc.com

